

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 242] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 1978/श्रावण 27, 1900
No. 242] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 1978/ SRAVANA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1978

सीमा-शुल्क

सा०क०वि० 418 (अ)--केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम
1962 (1962 का 52) की धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 157 की
उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति
(सीमा-शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए
निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमा-शुल्क विशेषा-
धिकारों का विनियमन) नियम, संशोधन विनियम, 1978 है।

2. विदेशी विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति (सीमा-शुल्क विशेषाधिकारों का विनियमन) नियम,

1957 के नियम 5 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(4) नियम 4-क के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य व्यापार निगम को विक्रय किए गए या अन्यथा व्ययन किए गए मोटर यान के बारे में निगम उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क का संदाय उस समय करेगा जब निगम किसी विशेषाधिकार प्राप्त धर्मास्त से मोटर यान का प्रय करता है या उसे अन्यथा अर्जित करता है और इस नियम के उपनियम (1), (2) और (3) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।”

[सं० 163/का० सं० 421/92/72--सी०यू०एस० IV]

एस० बसु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Central Board of Excise and Customs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August 1978

CUSTOMS

G.S.R. 418(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 157, read with sub-section (3) of section 160 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following Regulations further to amend the Foreign Privileged Persons (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957, namely :—

1. These Regulations may be called the Foreign Privileged Persons (Regulation of Customs Privileges) Rules, Amendment Regulations, 1978.

2. For sub-rule (4) under rule 5 of the Foreign Privileged Persons' (Regulation of Customs Privileges) Rules, 1957, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(4) In respect of a motor vehicle sold or otherwise disposed of to the State Trading Corporation under clause (b) of sub-rule (2) of rule 4A, that Corporation shall pay the customs duty leviable thereon when the Corporation purchases or otherwise acquires the motor vehicle from any privileged person and the provisions of sub-rules (1), (2) and (3) of this rule shall apply mutatis mutandis”.

[No. 163/F. No. 421/92/72-Cus. IV]

S. BASU, Under Secy.